In the Court of Fast Track-II

_S.T No. 547/10_

17-12-2019 **_जमानत आदेश_**

अभियुक्त मिंटु कुमार की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति अभियोजन को प्राप्त कराया गया। वाद पुकार कराया गया। पुकार पर उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त शांत एवं निर्दोष है और इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। वाद साक्ष्य हेतु लंबित था परंतु वाद किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित हो जाने के कारण करपदाज उचित पैरवी नहीं कर पाए और उनका बंध–पत्र दि0. 04.12.2019 को खारिज हो गया और इन्होंने इससे पूर्व किसी न्यायालय में जमानत याचिका दायर नहीं किया है, इनका यह भी कथन है कि इन्होंने अपने जमानत आदेश का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है और इनकी ओर से प्रत्येक तिथि पर लगातार पैरवी की जाती थी। अभियुक्त का जमानत आवेदन किसी भी शर्त पर मंजूर किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत का विरोध किया तथा निवेदन किए कि ये काफी दिन तक अनुपस्थित रहा है, ऐसी स्थिति में जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्ष को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है, इनका जमानत आवेदन किसी भी शर्त पर स्वीकार्य किया जाय, मैं प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उचित पैरवी करूंगा तथा जब कभी भी आवश्यक होगा मैं न्यायालय में उपस्थित रहूँगा। उपरोक्त सभी बिंदुओं एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अभियुक्त मिंटु कुमार का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। इन्हें मो0– 10000 /रु0 की समान राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

FTC-II

पश्चात...

उपरोक्त आदेश के आलोक में उक्त अभियुक्त मिंटु कुमार द्वारा बंध–पत्र दाखिल किया गया जिसे जॉचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है तथा अभियुक्त मिंटु कुमार को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

FTC-II